न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 146/2021 अपील/चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/157)
पंजीयन दिनांक– 10.03.2021
निर्णय दिनांक– 22.09.2021

1. श्री पीरूलाल पिता भूरा उर्फ शंकर चमार, निवासी बहादरी, तहसील व जिला मंदसौर (म.प्र.)।
2. श्रीमती कमला बाई पुत्री भूरा उर्फ शंकर चमार, निवासी बहादरी, तहसील व जिला मंदसौर (म.प्र.)।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री राजकुमार पिता औगड़ मेघवाल, निवासी सावा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री संजय सेन – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्ररकण संख्या 15/2018 निर्णय दिनांक 24.10.2018

निर्णय

दिनांक 22.09.2021

अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 15/2018 निर्णय दिनांक 24.10.2018 के विरूद्ध दिनांक 12.03.2019 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 81 भू–राजस्व अधिनियम के साथ पेश की

गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 10.03.2021 को अपील इस न्यायालय में दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के स्वामित्व एवं आधिपत्य एवं कब्जे की पैत्क भूमि मौजा सावा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ के खाता संख्या 32 व 33 में स्थित आराजी नम्बर 270, 623, 632 से 635, 277, 624, 626 में खाता संख्या 32 में 1/2 हिस्सा एवं खाता संख्या 33 में 1/6 हिस्सा होकर अपीलांट के पिता भूरा उर्फ शंकर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही है और इसी दरमियान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 2028 निर्णय दिनांक 05.07.2013 ग्राम पंचायत सावा के पेश की जिसमें अपीलांट की तामिल नही हुई और उनकी अनुपस्थिति बताकर एक तरफा कार्यवाही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्ररकण संख्या 15/2018 निर्णय दिनांक 24.10.2018 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 03.12.2018 से रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.10.2018 से पारित निर्णय में लिपिकीय त्रुटि होने से रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151–152 जाप्ता दीवानी पर संशोधित निर्णय दिनांक 03.12.2018 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया हैः– *"अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामांतरकरण संख्या 2028 दिनांक 05.07.2013 को निरस्त किया गया है इस नामांतरण से रेस्पोडेंट 1 व 2 द्वारा विक्रय हस्तांतरण छगनीबाई पत्नि ऊंकारलाल मेघवाल, निवासी खेरी, तहसील चित्तौड़गढ़ को शुन्य घोषित किया जाता है*

एवं अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मौजा ग्राम सावा पटवार हल्का सावा में स्थित खाता संख्या 32 खसरा संख्या 277, 624, 626, में 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 33 खसरा संख्या 270, 623, 633, 634, 635 में 1/6 हक हिस्से में छगनीबाई पत्नि ऊंकारलाल मेघवाल, निवासी खेरी, तहसील चित्तौड़गढ़ के बजाय अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में किया जावें तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावें। उक्त आदेश को मूल निर्णय प्रकरण संख्या 15/2018 दिनांक 24.10.2018 के साथ पढ़ा जावें।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 08.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह बात स्पष्ट है कि अपीलांट को नोटिस तामिल नही हुई है बल्कि उपधारणा के आधार पर उनकी तामिल मान ली गई और उनके प्रति एक तरफा कार्यवाही कर अधीनस्थ न्यायायल ने निर्णय पारति किया है। उक्त विवादित भूमि बाबत रेस्पोंडेंट राजकुमार के पिता औगड़ पिता रामा द्वारा सहायक कलक्टर में एक वाद बाबत घोषणा व निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है जो प्रकरण संख्या 71/2013 है जिसमें रेस्पोडेंट के पिता ने अंकन किया है कि भूरा उर्फ शंकर सगे भाई रामा का लडका है और वह पिछले 50 वर्ष से भी अधिक समय से घर छोडकर चला गया है उसका कोई ठिकाना नही है इसलिए उसका एक मात्र वारिस मैं ही

हू इसलिए उक्त भूमि मेरे नाम खातेदारी काश्तकार के रूप में घोषित किया जावे, जो वाद न्यायालय में विचाराधीन है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता औगड़ पिता रामा मेघवाल ने उक्त नामांतरण संख्या 2028 दिनांक 05.07.2013 को निरस्त कराने हेतु अपील उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ में पेश की जो औगड़ बनाम पीरूलाल मुकदमा 25/2013 निर्णय दिनांक 02.07.2014 को न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गयी और जिसकी अपील औगड़ द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में पेश की गयी जो बअनवान औगड़ बनाम पीरूलाल निर्णय दिनांक 17.01.2017 को अपील खारिज कर दी तथा इसके विरूद्ध औगड़ द्वारा निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में की गयी जिसके प्ररकण संख्या 1970/2017 औगड़ बनाम पीरूलाल जो दिनांक 01.11.2018 को निरस्त कर दी गयी है। अब उक्त नामांतरण प्रोसेडिंग में कोई विवाद नही रहा है। उसके बाद औगड़ के पुत्र राजकुमार ने दिनांक 08.06.2018 को इसी नामांतरण संख्या 2028 को लेकर पुनः अपील अधीनस्थ न्यायालय में मृतक भूरा उर्फ शंकर द्वारा दिनांक 17.11.2005 को राजकुमार के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर पेश कर अपीलांट की नुमाईशी तामिल मानी जाकर एक तरफा आदेश पारित कराया गया है। अपीलांट की समयक रूप से तामिल होती तो अपीलांट अपना पक्ष रखता व न्यायालय को वास्तविकता से अवगत कराता, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झुठे तथ्य रखे जाकर निर्णय पारित कराया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य होकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किय गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम सावा पटवार हल्का सावा की में स्थित प्रकरण वर्णित विवादित भूमि खाता संख्या 33 एंव 32 में अंकित आराजी संख्या 270, 623, 632 से 635, 277, 624, 626 राजस्व रेकार्ड होकर खाता संख्या 32 में भूरा पिता नंदा चमार का 1/2 तथा खाता संख्या 33 में 1/6 हक हिस्सा अंकित है। भूरा पिता नंदा चमार सावा के निवासी होकर

रेस्पोडेंट के दादा के सगे भाई थे, उनके कोई जायंदा संतान नही थी और जीवित पत्नि थी। भूरा की सेवा चाकरी भी रेस्पोडेंट के द्वारा की गई एवं भूरा ने अपने जीवनकाल में ही अपने हिस्से की आराजीयात में किसी प्रकार का कोई विवाद न हो इसलिए उन्होने रेस्पोडेंट के पक्ष में दिनांक 17.11.2005 को वसीयतनामा निष्पादित किया तभी से भूरा के हिस्से की आराजीयात में रेस्पोडेंट काबिज होकर काश्त कर रहा है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्ररकण संख्या 15/2018 निर्णय दिनांक 24.10.2018 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 24.10.2018 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की तामील रजिस्टर्ड ए.डी. के माध्यम से भिजवायी गयी तथा एक माह बाद ए.डी. प्राप्त नहीं हुई परन्तु **Presumption** आधार पर अपीलाण्ट की तामील मानते हुए उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी, अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के विरूद्ध उन्हें सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय का दिनांक 24.10.2018 का है, जिसकी अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.03.2019 को प्रस्तुत हुई है, अर्थात् अपील ढ़ाई माह के विलम्ब से प्रस्तुत हुई है। अपीलाण्ट द्वारा दिये गये दफा 5 जाप्ता मियाद के आवेदन एवं रेस्पोंडेण्ट के जबाब का अवलोकन करने के बाद हम न्यायहित में अखण्डित शपथ–पत्र, तामील की स्थिति, गुणावगुण पर निर्णय के दृष्टिकोण से उक्त अल्प अवधि की मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते हैं।

प्रकरण में अब हम रेस्पोंडेण्ट की ओर से आदेश 41 नियम 27 जा. दीवानी का आवेदन दिनांक 08.09.2021 को पेश किया, जिस पर मूल बहस के साथ बहस सुनी गयी, उस पर विचार करना उचित समझते हैं। रेस्पोंडेण्ट द्वारा उक्त आवेदन के साथ सरपंच, ग्राम पंचायत चांगली तहसील मंदसौर को दिये गये आवेदन व उनके द्वारा दिये गये सूचना व जमाबंदी सम्वत् 2068–71 के खाता संख्या 32 एवं 33 की जो प्रतियां पेश की है, उन्हें न्यायहित में सुसंगत होने से रेकर्ड पर रखने की अनुज्ञा देते हैं। प्रकरण में बहस सुनने के बाद निर्णय दिनांक 22.09.2021 से पूर्व रेस्पोंडेण्ट द्वारा पुनः आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया जो, विधिसम्मत् नहीं है क्योंकि बहस सुनने के बाद किसी भी प्रकार का नया आवेदन श्रवणार्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता, अतएवं उक्त आवेदन रेकर्ड पर रखे जाने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता व उसमें प्रस्तुत दस्तावेजात को इस अपील पत्रावली के निमित्त ग्रहण नहीं किया जा सकता।

अब इस प्रकरण में अपील के गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में मूलतः मृतक भूरा की मृत्यु के बाद उसकी विरासत को लेकर विवाद है। प्रकरण में जहां अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.07.2013 को नामान्तकरण संख्या 2028 द्वारा मृतक भूरा की विरासत से अपीलाण्ट को उनके पुत्र, पुत्री मानकर उनके नाम नामान्तकरण दिनांक 05.07.2013 को स्वीकार किया गया, जिसकी अपील में रेस्पोंडेण्ट राजकुमार द्वारा इस आधार पर की गयी कि भूरा द्वारा दिनांक 17.11.2005 को एक वसीयतनामा उसके पक्ष में निष्पादित किया गया था। प्रकरण में विवाद भूरा की मृत्यु के बाद विरासत पीरूलाल व कमला अपीलाण्ट उसके पुत्र, पुत्री होना बताकर विरासत से खुले नामान्तकरण को सही बताते हैं, वहीं रेस्पोंडेण्ट राजकुमार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत के आधार पर भूरा की विरासत से स्वयं को उत्तराधिकारी होना बताकर अपील प्रस्तुत की एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजकुमार के पक्ष में की गयी

अपंजीकृत वसीयत को सही होना मानकर अपने निर्णय दिनांक 24.10.2018 से अपीलाण्ट पीरूलाल व कमलाबाई के नाम हुए नामान्तकरण को अपास्त करते हुए वसीयती उत्तराधिकार के आधार पर रेस्पोंडेण्ट राजकुमार को मृतक भूरा का उत्तराधिकारी मान लिया तथा अपने निर्णय दिनांक 24.10.2018 के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 151 व 152 जा.दीवानी के आवेदन पर दिनांक 03.12.2018 को अपीलाण्ट पीरूलाल व कमला द्वारा जो विक्रय स्थानान्तरण छगलीबाई के नाम किया गया था, उसे शून्य घोषित करने का आदेश भी पारित किया।

प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपील मेमों, बहस एवं रेस्पोंडेंट द्वारा की गयी बहस के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर उठायी गयी आपत्तियों पर अब विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट का प्रथम उज्र यह है कि विवादित भूमि बाबत् राजकुमार के पिता औगड़ पिता रामा द्वारा सहायक कलक्टर में एक वाद बाबत् घोषणा व निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है जो औगड़ बनाम मोहनलाल होकर विचाराधीन है और जिसकी प्रकरण संख्या 71/2013 है जिसमें रेस्पोंडेण्ट के पिता ने अंकन किया है कि भूरा उर्फ शंकर सगे भाई होकर रामा का लड़का है और वह पिछले 50 वर्ष से भी अधिक समय से घर छोड़कर चला गया है, उसका कोई ठिकाना नहीं है इसलिए उसका एक मात्र वारिस मैं ही हूॅ इसलिए उक्त भूमि मेरे नाम खातेदारी काश्तकार के रूप में घोषित किया जावें। यह वाद न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलाण्ट द्वारा आगे यह कथन किया गया कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के पिता औगड़ पिता रामा मेघवाल ने उक्त नामान्तकरण संख्या 2028 दिनांक 05.07.2013 को निरस्त कराने हेतु अपील उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ में पेश की जो औगड़ बनाम पीरूलाल मुकदमा नं0 25/2013 निर्णय दिनांक 02.07.2014 को न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गयी। जिसकी अपील औगड़ द्वारा संभागीय आयुक्त में पेश की, जो अनवान औगड़ बनाम पीरूलाल निर्णय दिनांक 17.01.2017 को अपील खारिज कर दी गयी

और जिसके विरूद्ध औगड़ द्वारा निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गयी जिसकी प्रकरण संख्या 1970/2017 औगड़ बनाम पीरूलाल जो दिनांक 01.11.2018 को निरस्त कर दी गयी। अब उक्त नामान्तकरण प्रोसीडिंग में कोई विवाद नहीं रहा। अपीलाण्ट ने आगे यह कथन किया कि औगड़ के पुत्र राजकुमार ने दिनांक 08.06.2018 को इसी नामान्तकरण संख्या 2028 को लेकर पुनः अपील अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय की पेश की है कि मृतक भूरा उर्फ शंकर ने कोई शादी नहीं की और उसके कोई औलाद नहीं थी और उसका सेवा चाकरी मैंने की है और उसने इसी सेवा चाकरी से संतुष्ट दिनांक 17.11.2005 को मेरे पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रेस्पोंडेण्ट राजकुमार के वसीयत को आधार मानते हुए अपीलाण्ट के पक्ष में किये गये नामान्तकरण को अपास्त कर दिया। हम यह पाते हैं कि प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा वाद एवं नामान्तकरण की अपील अपीलाण्ट के पिता द्वारा मृतक भूरा के वारिस स्वयं को होना बताते हुए वाद एवं नामानतकरण की अपील अन्य आधारों पर प्रस्तुत की जिसमें वाद विचाराधीन है तथा नामान्तकरण का माननीय राजस्व मण्डल से भी निस्तारण होकर औगड़ के नामान्तकरण की अपील का निस्तारण हो चुका है। उपरोक्त तथ्यों का खण्डन रेस्पोंडेण्ट द्वारा नहीं किया गया है। प्रथम दृष्टया राजकुमार के पिता औगड़ द्वारा भूरा का वारिस स्वयं को भूरा के 50 वर्ष से अधिक समय से घर छोड़कर चले जाने एवं वारिस स्वयं को होना बताने के तथ्यों की जानकारी रेस्पोंडेण्ट औगड़ के पुत्र राजकुमार को नहीं हो, यह सामान्य विवके से परे हैं। राजकुमार का पिता मृतक भूरा को 50 वर्ष से अधिक समय से घर छोड़कर जाने एवं स्वयं को वारिस (प्राकृतिक) होना बताते हुए एवं इस नामान्तकरण को लेकर वादकरण राजस्व मण्डल तक चला है परन्तु नामान्तकरण संख्या 2028 जिससे अपीलाण्ट के नाम नामान्तकरण स्वीकृत होता है, वह बहाल रहता है तो अचानक वर्ष 2016 में औगड़ के पुत्र राजकुमार की वसीयत जो कि अपंजीकृत है,

उसका प्रकट आना एवं उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट जिसे पुत्र, पुत्री मानकर विरासती नामान्तकरण खोला है, उन्हें सुने बिना, गवाहों से जिरह किये बिना उक्त नामान्तकरण जो कि प्राकृतिक विरासत से खोला गया है, उसे अपास्त कर दिया जाना प्राकृतिक तार्किक एवं बोधगम्य प्रतीत नहीं होता, वैसे भी विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्राकृतिक विरासत के आधार पर प्राकृतिक विरासत के स्थान पर अपंजीकृत वसीयत से उत्तराधिकारी नामान्तकरण प्रक्रिया में तय नहीं किये जाने चाहिये। उसके लिए सामान्यतः घोषणात्मक एवं विधिपूर्वक निर्णय उभय पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद किया जाना चाहिये। इस प्रकरण में रेस्पोंडेण्ट राजकुमार अपीलाण्ट पीरूलाल व कमला को भूरा का पुत्र, पुत्री नहीं होना अवगत करवाता है परन्तु इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में पीरूलाल व कमला की सुनवाई ही नहीं हुई है व पीरूलाल व कमला को अपंजीकृत वसीयती के बाबत् अपने अभिकथन करने का भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में यह तथ्य भी स्पष्ट था कि अपीलाण्ट पीरूलाल व कमलाबाई द्वारा अपने नाम नामान्तकरण खुलने के बाद भूमि का विक्रय छगनीबाई पत्नी उंकारलाल मेघवाल को कर दिया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजकुमार के अपील दिनांक 24.10.2018 को स्वीकार करने के बाद दिनांक 03.12.2018 को अपीलाण्ट पीरूलाल व कमलाबाई द्वारा छगनीबाई के पक्ष में किये गये विक्रय–पत्र को जो कि राजस्व रेकर्ड में प्रविष्ठ भी हो चके थे, उस विक्रय–पत्र को अवैध एवं शून्य घोषित कर दिया जो कि प्रथम दृष्टाया अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि पीरूलाल व कमलाबाई द्वारा विक्रय करने के बाद छगनीबाई उक्त प्रकरण में एक आवश्यक पक्षकार बन जाती है एवं उक्त आवश्यक पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विक्रय–पत्र को प्राकृतिक न्याय एवं सक्षमताविहीन रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो छगनीबाई के पक्ष में पीरूलाल व कमलाबाई द्वारा किये गये विक्रय–पत्र को अवैध एवं शून्य घोषित किया गया है, वह अनुचित व

अविधिक है। प्रकरण में हम पाते हैं कि मृतक भूरा की विरासत में अपीलाण्ट पीरूलाल व कमलाबाई के नाम खुले नामान्तकरण संख्या 2028 दिनांक 05.07.2013 के सन्दर्भ में पीरूलाल व कमलाबाई उसके वारिसान है अथवा नहीं, इस बाबत् रेस्पोंडेण्ट राजकुमार के कथनों पर पीरूलाल व कमलाबाई को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला है। इसी प्रकार भूरा की राजकुमार के पक्ष में की गयी अपंजीकृत वसीयत के सन्दर्भ में खण्डन का अवसर भी पीरूलाल व कमलाबाई को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण में छगनीबाई एक आवश्यक पक्षकार है, जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं सुना है।

उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 15/2018 दिनांक 24.10.2018 निर्णय प्राकृतिक न्याय, तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार, चित्तौड़गढ़) को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों एवं छगनीबाई पत्नी श्री उंकारलाल मेघवाल, निवासी खेरी, तहसील चित्तौड़गढ़ को भी पक्षकार संस्थित करते हुए उभय पक्षों को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.11.2021 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय छगनीबाई को भी प्रकरण में सुनवाई का अवसर प्रदान करें।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर